

श्री एस. के. मैनी

बनाम

मैसर्स कारोना साहू कम्पनी लिमिटेड और अन्य

8 मार्च, 1994

[के. जयचंद्र रेड्डी और जी. एन. रे, जे. जे.]

श्रम कानून: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 2 (एस)-
कर्मचारी-- अपीलार्थी प्रतिवादी-कम्पनी की दुकान के प्रबंधक/प्रभारी के रूप
में काम कर रहा था --साथ ही उससे कुछ भांति के लिपिकीय कार्य करने
की भी अपेक्षा थी -- अभिनिर्धारित, किसी कर्मचारी के धारा 2(एस) में
कर्मकार होने के लिए कर्मचारी द्वारा किए जा रहे प्रमुख रूप से किए जा रहे
कर्तव्यों एवं कृत्यों तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख
पर मौजूद सामग्रियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए----निर्धारक
कारक संबंधित कर्मचारी के मुख्य कर्तव्य हैं, न कि संयोगवश किए गए
कुछ कार्य----- कर्मचारी का मुख्य कार्य प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय प्रकृति
का था, अतः वह कर्मकार नहीं था।

- अपीलार्थी प्रतिवादी-कम्पनी की दुकान के प्रबंधक/प्रभारी के रूप में
काम कर रहा था। अपीलार्थी के विरुद्ध कदाचार के आरोप पर, एक घरेलू
जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया

गया। सरकार ने इस विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया कि क्या अपीलार्थी की सेवाओं की समाप्ति उचित और क्रम में थी।

प्रत्यर्थी ने श्रम न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति जताई कि अपीलार्थी धारा 2 (एस) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत परिभाषित कर्मचारी नहीं था क्योंकि एक दुकान प्रबंधक/दुकान के प्रभारी होने के नाते, वह मुख्य रूप से प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन कर रहे थे और उक्त दुकान पर उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण कर रहे थे। यद्यपि वह प्रासंगिक समय पर पर्यवेक्षक था, परन्तु वह प्रति माह 500 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था, अतः उसे अधिनियम के तहत एक कर्मचारी नहीं माना जा सकता था।

श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अपीलार्थी एक दुकान का प्रबंधक/प्रभारी था, उसके कर्तव्य मुख्य रूप से लिपिक थे और उसके पास कर्मचारियों की नियुक्ति या निर्वहन करने और उन्हें प्रभारित करने का कोई स्वतंत्र प्राधिकार नहीं था; अतः उसके कार्यों को पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय नहीं माना जा सकता था तथा अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक कर्मचारी था, और पूर्ण बकाया वेतन के साथ उसकी बहाली के लिए निर्देश दिए।

प्रतिवादी-कम्पनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के प्रमुख

कर्तव्य प्रशासनिक या प्रबंधकीय थे और कुछ हद तक पर्यवेक्षी प्रकृति के थे और इस तरह वह अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत एक कर्मकार नहीं था। अपीलार्थी की लेटर्स पेटेंट अपील को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया था। इसलिए विशेष अनुमति याचिका द्वारा यह अपील पेश हुई।

इस न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित: 1.1. क्या कोई कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के तहत कर्मकार है या नहीं, का निर्धारण उसके कर्तव्यों और कार्यों की प्रमुख प्रकृति, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर सामग्री के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है और ऐसा कोई स्ट्रेट-जैकेट सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं है जो सभी मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों और कार्यों की वास्तविक प्रकृति के बारे में विवाद का निर्णय कर सके। [343 - ई-जी]

1.2 . एक कर्मचारी का पदनाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जो महत्वपूर्ण है वह है कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों की प्रकृति है। निर्धारक कारक संबंधित कर्मचारी के मुख्य कर्तव्य है न कि संयोग से किए गए कुछ कार्य। दूसरे शब्दों में, वास्तव में, वह कार्य क्या है जो कर्मचारी करता है या वास्तव में उसे क्या कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है। [344 - सी-डी]

1.3 . यदि कर्मचारी मुख्य रूप से पर्यवेक्षी कार्य कर रहा है लेकिन संयोग से या कुछ समय के लिए कुछ हाथ से या लिपिकीय काम भी करता है, तो कर्मचारी को पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि मुख्य कार्य हस्तचालित, लिपिकीय या तकनीकी प्रकृति का है, तो केवल यह तथ्य कि कुछ पर्यवेक्षी या अन्य कार्य भी कर्मचारी द्वारा संयोगवश किया जाता है या काम करने के समय का केवल एक छोटा सा हिस्सा कुछ पर्यवेक्षी कार्य के लिए समर्पित है कि कर्मचारी ऐसा करेगा, तो भी कर्मचारी अधिनियम की 2(एस) में परिभाषित कर्मकार के दायरे में आएगा। एक प्रबंधक या एक प्रशासनिक अधिकारी को आम तौर पर एक लिपिक के रूढ़िबद्ध कार्य के विपरीत पर्यवेक्षण की शक्ति दी जाती है। [344-डी-ई, 346-डी]

1.4 . धारा 2(एस) के संशोधन के मद्देनजर प्रबंधकीय बल को छोड़कर विभिन्न प्रकार के कर्मकारों के वर्गीकरण के दायरे को बढ़ाते हुए, सम्पूर्ण श्रम बल को धारा 2(एस) के तहत कर्मकार की परिभाषा के भीतर शामिल किया गया है जैसाकि पूर्ववर्ती मामला एस. के. वर्मा में इस न्यायालय ने यह तय किया है। लेकिन यदि प्रमुख कार्य पर्यवेक्षी प्रकृति का है, तो संबंधित कर्मचारी केवल तभी कर्मचारी नहीं होगा जब वह धारा 2(एस) में बताए अनुसार प्रासंगिक समय पर एक विशेष मात्रा में वेतन प्राप्त करता है। [345 - सी, डी]

1.5. अपीलार्थी की सेवा की स्वीकृत शर्तों एवं नियमों के संदर्भ में दुकान प्रबंधक के कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति की बारीकी से जांच करने पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि अपीलार्थी का प्रमुख कार्य प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रकृति का था, और वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कर्मचारी नहीं था। [346- एच, 347-ए]

1.6 . अपीलार्थी के दुकान का प्रबंधक/प्रभारी होने के नाते उक्त सेवा के नियमों और शर्तों के तहत, वह क्रेडिट की राशि की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी था, चाहे क्रेडिट पर ऐसी बिक्री उसके द्वारा या उसके अधीन कर्मचारी सदस्य द्वारा उसकी जानकारी के साथ या उसकी जानकारी के बिना की गई हो; वह स्टॉक या उसके किसी हिस्से की गुणवत्ता में गिरावट या स्वयं या अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी भी कर्मचारी से लापरवाही के किसी भी कार्य के कारण या कर्मचारियों द्वारा कोई सावधानी बरतने में हुई चूक के कारण दुकान में पड़े किसी भी अन्य सामान के नुकसान के कारण कम्पनी को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी था; वह दुकान के कर्मचारियों के कृत्यों से हुए नुकसान या कमीशन के कारण हुए नुकसान के लिए कम्पनी के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा; उसे दुकान में किसी भी आग, चोरी, डकैती, लूट या आगजनी के बारे में कम्पनी को तुरन्त सूचित करने की आवश्यकता थी और स्थानीय अधिकारियों से नुकसान का कारण और

राशि का पता लगाना था। दुकान के प्रभारी के रूप में अपीलार्थी को कम्पनी द्वारा अनुमोदित उचित खाते रखने और बनाए रखने की आवश्यकता थी, जिससे संबंधित कर्मचारियों से प्राप्तियों से भुगतान की जाने वाली सटीक राशि का संकेत दिया गया था। अपीलार्थी को अस्थायी नियुक्तियों के मामले में निर्णय लेने और दुकान के उचित संचालन के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया था। सटीक रूप से, उक्त कारण से उन्होंने एक नियोक्ता के रूप में वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह के कार्य प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रतीत होते हैं। हालाँकि अपीलार्थी को स्वयं भी लिपिक प्रकृति के कुछ कार्य करने की आवश्यकता थी, लेकिन मोटे तौर पर अपीलार्थी दुकान के प्रबंधन का प्रभारी होने के नाते मुख्य रूप से प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य का निर्वहन कर रहा था। [345 - ई-एच, 346-ए-डी]

1.7. एक कर्मचारी जाे कि प्रबंधकीय कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर सकता है बेशक, उन्हें अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्वहन की शक्ति के साथ प्रदत्त नहीं की गयी हो। यह संभावना नहीं है कि एक बड़ी व्यवस्था में इस तरह की शक्ति एक स्थानीय प्रबंधक को प्रदत्त नहीं की जाती हो लेकिन इस तरह की शक्ति संभागीय या क्षेत्रीय स्तर पर प्रबंधन संवर्ग में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी जाती है। स्थानीय दुकान में इकाई भले ही बड़ी न हो, लेकिन ऐसी छोटी इकाई का प्रबंधन

कार्य प्रबंधकीय आवश्यकताओं और घटनाओं को पूरा कर सकता है। [346
- एफ-एच]

बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ऑफ इंडिया
लिमिटेड v. बर्मा शेल मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन, (1970) ॥ एल. एल.
जे. 590 एससी;

आल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ बनाम भारतीय रिजर्व बैंक,
(1965) ॥ एल. एल. जे. 175 एस. सी;

मैकलियोड एंड कं. बनाम छठां औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम
बंगाल, ए. आई. आर. (1958) कलकत्ता 273;

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम श्री किशन भावेरिया
और अन्य, ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 329;

विमल कुमार जैन बनाम श्रम न्यायालय, ए. आई. आर. (1988)
एस. सी. 384;

डी. पी. माहेश्वरी बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य, ए. आई. आर.
(1984) एससी 153 एवं

मैसर्स आनंद बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड बनाम इसके कर्मकार,
(1969) 2 एल. एल. जे. 670 एस. सी., काे उल्लेखित किया गया है।

एस. के. वर्मा बनाम महेश चंद्र और अन्य [1983] 3 एस. सी. आर. 799, पर निर्भर किया गया।

सिविल अपील न्याय निर्णय: सिविल अपील सं. 1581 / 1994 .

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एल. पी. ए. 935/1992 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 27.8.92 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से सरजीत सिंह, ए. एस. चाहिल और सुश्री एस. जनानी।

प्रत्यर्थी की ओर से जी. बी. पेल, संजय सरीन, पवन मुतनेजा, अशोक माथुर

इस न्यायालय में यह निर्णय प्रसारित किया गया है
द्वारा जी. एन. रे, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 27 अगस्त, 1992 को दिए गए फैसले के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें 1992 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 935 को 'in limine' खारिज कर दिया गया था। उक्त लेटर्स पेटेंट अपील 11 अगस्त, 1992 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 1986 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4410 में पारित किये गये निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी।

उपरोक्त निर्णय से, प्रतिवादी मैसर्स कारोना साहू कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई रिट याचिका को अनुमति दे दी गई और लेबर कोर्ट जालंधर द्वारा रैफरेंस नंबर 389/1981 में पारित पंचाट दिनांक 21 अप्रैल 1986 जिसमें प्रत्यर्थी कम्पनी को अपीलार्थी श्री एस के मैनी को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था, को उच्च न्यायालय ने अपास्त कर दिया था।

3. अपीलार्थी श्री एसके मैनी प्रतिवादी-कम्पनी मैसर्स कारोना साहू कम्पनी लिमिटेड की दुकान में प्रबंधक/प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अपीलार्थी के विरुद्ध कदाचार के आरोप पर, प्रतिवादी कम्पनी द्वारा एक घरेलू जांच की गई और दिनांक 12 मार्च, 1981 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। दिनांक 28 सितंबर, 1981 को, पंजाब सरकार ने निम्नलिखित विवाद को श्रम न्यायालय, जालंधर में न्यायनिर्णयन के लिए भेजा; "क्या श्री एसके मैनी की सेवा समाप्ति उचित और क्रम में है? यदि नहीं, तो वह किस राहत और मुआवजे की राशि के हकदार हैं?"

4. श्रम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-कम्पनी द्वारा उक्त रैंफरेंस की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि श्री एस. के. मैनी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) की परिभाषा के भीतर एक कर्मकार नहीं थे क्योंकि एक

दुकान प्रबंधक/दुकान का प्रभारी होने के नाते, वह मुख्य रूप से प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन कर रहा थे और उक्त दुकान को चलाने के लिए अपने अधीनस्थ अन्य कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण कर रहा था और यद्यपि वह प्रासंगिक समय पर पर्यवेक्षक भी थे, तो भी श्री एस.के. मैनी 500/- रुपये प्रति माह से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे थे। इसलिए, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्मकार नहीं माना जा सकता। तदनुसार, रैंफरेंस पोषणीय नहीं था और श्री मैनी श्रम न्यायालय से कोई अनुतोष पाने के हकदार नहीं थे।

5. श्रम न्यायालय, जालंधर, अन्य बातों के साथ-साथ (inter alia) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि श्री मैनी एक दुकान प्रबंधक/दुकान के प्रभारी थे, लेकिन उनके कर्तव्य मुख्य रूप से लिपिकीय थे और उनके पास कर्मचारियों को नियुक्त करने या उन्मोचित करने या उन को आरोप पत्र देने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था और उनके कार्यों को मुख्य रूप से पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय नहीं माना जा सकता। तदनुसार, श्री मैनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्मकार थे। श्रम न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके विरुद्ध घरेलू जांच ठीक से नहीं की गई थी और श्री मैनी को एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं देकर घरेलू जांच में प्रतिरक्षा का उचित अवसर नहीं दिया गया था। श्रम न्यायालय ने यह भी माना कि जांच अधिकारी श्री इकबाल सिंह कम्पनी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रतिवादी-कम्पनी के स्थायी

अधिवक्ता थे। उक्त इकबाल सिंह अधिवक्ता के रूप में विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में कम्पनी के संबंधित कर्मकारों के दावों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किए गए थे। ऐसे स्थायी अधिवक्ता का उस कम्पनी के पक्ष में पक्षपात होने की संभावना थी जो उसकी स्वामी थी और परिणामस्वरूप संबंधित कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह होने की संभावना थी। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी के मामले का न्याय करने में उनमें निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का अभाव था। तदनुसार, ऐसे अधिकारी द्वारा श्री मैनी के विरुद्ध दर्ज किया गया निष्कर्ष निष्पक्ष और उचित नहीं था। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि श्रम न्यायालय ने प्रबंधन को इस आधार पर स्वतंत्र साक्ष्य पेश करके श्रम न्यायालय के समक्ष कम्पनी की सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के मामले को साबित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि ऐसा अवसर प्रबंधन को पहले से प्रस्तुत अपने साक्ष्य में सुधार करने की अनुमति देने के समान होगा और यह संबंधित कर्मकार को परेशान करने के लिए बाध्य होगा। उक्त मामले में ऐसे तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालय ने श्री मैनी को पूरे बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया।

6. जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, प्रत्यर्थी-कम्पनी ने श्रम न्यायालय के ऐसे पंचाट की वैधता को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश अन्य बातों के साथ-साथ दुकान प्रबंधक/प्रभारी के रूप में श्री

मैनी की शक्तियों और जिम्मेदारियों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री मैनी के प्रमुख कर्तव्य प्रशासनिक या प्रबंधकीय थे और कुछ हद तक पर्यवेक्षी प्रकृति के थे। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी माना गया कि किसी प्रबंधक या प्रशासक के कर्तव्यों की वास्तविक प्रकृति को तय करने के लिए नियोजित करने या बर्खास्त करने या यहां तक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति एकमात्र मानदंड नहीं था। ऐसा परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक था कि क्या ऐसे कर्तव्य पर्यवेक्षी प्रकृति के थे या नहीं। विद्वान न्यायाधीश का यह विचार था कि यद्यपि खातों का संधारण करना, कुछ प्रोफार्मा भरने जैसे कुछ कर्तव्य लिपिकीय प्रकृति के थे, लेकिन संबंधित कर्मचारी का प्रमुख काम प्रशासनिक या प्रबंधकीय था। तदनुसार, कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कर्मकार नहीं था। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि श्री मैनी को एक अधिवक्ता की सहायता देने से इनकार करने से घरेलू जांच vitiate नहीं हुई है और श्रम न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि जांच अधिकारी ने कम्पनी के स्थायी अधिवक्ता होने के नाते कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह रखा था तथा कम्पनी के पक्ष में पक्षपात किया था। विद्वान न्यायाधीश ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रबंधन के एक कर्मचारी के कर्तव्य और हित किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध जांच किए जाने से आपस में नहीं टकराते हैं और यह सर्वविदित था कि विभाग में

एक कर्मचारी दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जांच कार्यवाही करेगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे यह भी तय किया कि श्री मैनी ने उक्त जांच अधिकारी, जो कि एक अधिवक्ता थे, की नियुक्ति के विरुद्ध कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई। तदनुसार, श्री मैनी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी कि जांच अधिकारी द्वारा वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के साथ जांच नहीं की जा सकी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे यह भी तय किया कि श्रम न्यायालय ने प्रबंधन को इस आधार पर साक्ष्य पेश करने से इनकार करना सही नहीं था कि इस तरह का अवसर जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य की कमी को पूरा करने जैसा होगा। विद्वान न्यायाधीश ने तय किया कि यदि जांच किसी भी आधार पर दोषपूर्ण पाई गई तो प्रबंधन उक्त सेवा समाप्ति के आक्षेपित आदेश के समर्थन में श्रम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिए जाने का अधिकारी था। उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका को विद्वान न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 21 सितंबर, 1981 के श्रम न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त फैसले के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील को पेश किया लेकिन उक्त अपील को 'in limine' खारिज कर दिया गया। लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और ऐसी अनुमति याचिका को अनुमति दे दी गई है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरजीत सिंह ने इस अपील की सुनवाई में कहा है कि अपीलार्थी को दुकान प्रबंधक/प्रभारी के रूप में नामित करने का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संबंधित कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत एक कर्मकार है या नहीं, यह तय करने में निर्धारक कारक पदनाम नहीं है, बल्कि किसी कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों की वास्तविक प्रकृति यह निर्धारित करने वाला कारक है। श्री सिंह ने यह भी तर्क दिया है कि हालांकि पंजाब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत, उक्त दुकान के प्रभारी के रूप में अपीलार्थी को कुछ प्रोफार्मा भरने थे, जो श्रम न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित किये गये थे, नियोक्ता के रूप में ऐसे फॉर्मों के हस्ताक्षर किये जाने से यह अनुमानतः निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी उक्त दुकान में सेवा प्रदान करने वाले अन्य कर्मचारियों का नियोक्ता था। श्री सिंह ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी एक गरीब और विनम्र कर्मचारी था जो मुख्य रूप से लिपिकीय कार्य करता था, हालांकि कभी-कभी उसे उक्त दुकान में काम करने वाले एक या दो कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करनी पड़ती थी। उसे कर्मचारियों को नियुक्त करने, बर्खास्त करने और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की कोई स्वतंत्र शक्ति प्रदत्त नहीं थी। उनकी सेवा के नियम और शर्तों के अधीन उसे कम्पनी के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने का भी उसके पास कोई अधिकार नहीं था और यद्यपि उन्हें एक

दुकान के प्रबंधक/प्रभारी के रूप में नामित किया गया था, परन्तु वे मूल रूप से कम्पनी के एक सेल्समैन ही थे। उनके मुख्य कर्तव्य प्रकृति में लिपिकीय थे और श्रम न्यायालय ने, पर्याप्त कारण तय करते हुए, यह माना कि अपीलार्थी एक कर्मकार था और उसने प्रबंधकीय या प्रशासनिक सेवा का निर्वहन नहीं किया था और उसने मुख्य रूप से पर्यवेक्षी सेवा का भी निर्वहन नहीं किया था, इसलिए उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत एक कर्मकार नहीं माना जा सकता है। श्री सिंह ने इस न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों डी पी माहेश्वरी बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य ए आई आर (1984) एस सी 153, मैसर्स आनंद बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड बनाम उसके वर्कमेन, (1969) 2 एल एल जे 670 एससी, और नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम श्री किशन भवेरिया, ए आई आर (1988) एस सी 329 को आधारित करते हुए तर्क दिया कि उक्त संदर्भित निर्णयों में और अन्य निर्णयों में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी कर्मचारी की वास्तविक स्थिति का निर्धारण उस कर्मचारी द्वारा किए जा रहे प्रमुख कर्तव्यों को देखते हुए किया जाना चाहिए जैसे कि यथा ऐसा कर्मचारी प्रशासनिक, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी कार्य का निर्वहन कर रहा था। यह स्पष्ट शब्दों में माना गया है कि भले ही, कभी-कभी किसी कर्मचारी द्वारा प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी या प्रशासनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, परन्तु ऐसा प्रासंगिक कार्य अपने आप में नियोक्ता की वास्तविक स्थिति

निर्धारित नहीं करता है, लेकिन प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से कर्मचारी द्वारा किया गया कर्तव्य ही कर्मचारी की वास्तविक स्थिति को निर्धारित करता है। श्री सिंह ने यह तर्क दिया है कि उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न परीक्षणों का संकेत दिया गया है कि क्या कोई कर्मचारी कुशल, अकुशल, तकनीकी या लिपिकीय प्रकृति का कार्य कर रहा था या क्या ऐसा कार्य किसी प्रशासक या प्रबंधक या किसी पर्यवेक्षक का सारगर्भित कार्य था। श्री सिंह ने तर्क दिया है कि श्रम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की सेवा की शर्तों और उसके द्वारा निभाए जा रहे वास्तविक कर्तव्यों का उल्लेख करने के बाद स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी का मुख्य काम लिपिकीय प्रकृति का था। इस तरह के निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की फिर से विवेचना करके और अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करके उलटने की आवश्यकता नहीं थी। श्री सिंह ने यह भी तर्क दिया है कि यह स्वीकृत रूप से, जांच अधिकारी औद्योगिक मामलों में विशेषज्ञता रखने वाला एक अधिवक्ता था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वह विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में कम्पनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते थे। जब बिना किसी कानूनी पृष्ठभूमि के अपीलार्थी को अपने विरुद्ध संस्थित की गई घरेलू जांच में एक अनुभवी अधिवक्ता, जिसे जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, के विरुद्ध सक्रिय रूप से अपना प्रतिरक्षा करने की आवश्यकता थी, तो यह उचित

और सही था कि उस गरीब कर्मचारी को कम्पनी द्वारा एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, लेकिन कम्पनी ने अपीलार्थी को ईष्यापूर्ण तरीके से परेशान करने के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी। इसलिए, श्रम न्यायालय द्वारा यह माना जाना उचित था कि अपीलार्थी को एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति न देकर घरेलू जांच में प्रतिरक्षा का उचित और युक्तियुक्त अवसर देने से इनकार कर दिया गया था। श्री सिंह ने यह भी तर्क दिया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पक्षपात का प्रश्न भी दर्शित हुआ था। जांच अधिकारी स्वीकृत रूप से कम्पनी का स्थायी अधिवक्ता था। इसलिए, यह काफी युक्तियुक्त था कि उक्त जांच अधिकारी का झुकाव कम्पनी के पक्ष में होगा और परिणामस्वरूप संबंधित कर्मचारी, अर्थात् अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह होगा। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो खुद बयां करते हैं, श्रम न्यायालय ने सही ही माना कि जांच अधिकारी द्वारा घरेलू जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की गई थी और वह दूषित थी। श्री सिंह ने यह भी प्रस्तुत किया है कि लिखित बयान में प्रतिवादी-कम्पनी ने यह आरोप नहीं लगाया कि अपीलार्थी का मुख्य कार्य पर्यवेक्षी प्रकृति का था और चूंकि वह 500 रुपये प्रति माह से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था, उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कर्मकार के रूप में नहीं रखा जा सकता है। श्री सिंह ने यह तर्क दिया है कि कम्पनी ने यह मामला बनाने की कोशिश की कि श्री मैनी मुख्य रूप से एक प्रबंधक या

प्रशासक के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन श्रम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा बताए गए पर्याप्त कारणों से ऐसा मामला स्थापित नहीं किया जा सका। इसलिए रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः ही तथ्यांशों को निर्णित करने के प्रयास के बिना ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उक्त आधारों पर, उन्होंने यह निवेदन किया है कि रिट याचिका और लेटर्स पेटेंट अपील में उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करके इस न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और अपीलार्थी के पक्ष में श्रम न्यायालय द्वारा पारित पंचाट की पुष्टि मय हर्जा की जानी चाहिए।

8. प्रतिवादी-कम्पनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पाई, द्वारा श्री सिंह की उक्त दलीलों का खंडन करते हुए निवेदन किया गया है कि यद्यपि किसी कर्मचारी का पदनाम निर्धारक कारक नहीं है परन्तु ऐसे कर्मचारी द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों की वास्तविक प्रकृति निर्धारक कारक है, लेकिन ऐसा पदनाम पूरी तरह से अप्रासंगिक या महत्वहीन नहीं है। पदनाम अक्सर संबंधित कर्मचारी द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों की वास्तविक प्रकृति के बारे में इशारा या संकेत देता है। श्री पाई ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा तय करते हुए यह अनुमानित किया गया है कि यह प्रश्न कि संबंधित कर्मचारी कर्मकार था या नहीं, ऐसा प्रश्न है जिस पर रैंफरेंस मामले का विचार करने का श्रम न्यायालय की अधिकारिता होना निर्भर करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए मामले के

अभिलेखों को देखना और यह निर्धारित करना आवश्यक था कि श्रम न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को उचित रूप से निर्धारित किया गया था या नहीं। श्री पाई ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने श्री मैनी की सेवा के नियमों और शर्तों के संदर्भ में उनके द्वारा निभाए जा रहे प्रमुख कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख करते हुए और ऐसे कर्तव्यों और कार्यों का उचित विश्लेषण करने के पश्चात् विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया कि श्री मैनी मुख्य रूप से प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों का निर्वहन कर रहे थे, हालांकि कभी-कभी उन्हें कुछ लिपिकीय कार्यों का निर्वहन भी करना पड़ता था। श्री पाई ने यह भी निवेदन किया है कि प्रबंधकीय कार्य के निर्वहन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रबंधक के पास अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने या ऐसे कर्मचारियों को निलंबित करने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति का प्रयोग प्रशासनिक अधिकारियों के दूसरे समूह द्वारा किया जा सकता है। श्री पाई ने तर्क दिया है कि स्वीकृत रूप से श्री मैनी उक्त दुकान के प्रबंधक और प्रभारी थे और उनके पास उक्त दुकान खोलने, उसे बंद करने और दुकान का व्यवसाय संचालित करने की जिम्मेदारी थी। उनसे अपने अधीनस्थों की सहायता से दुकान में समग्र कामकाज का प्रबंधन करने की अपेक्षा की जाती थी। उक्त दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के पास श्री मैनी की मंजूरी या अनुमोदन के बिना स्वतंत्र रूप से कोई भी काम करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं था। कम्पनी की बिक्री इकाइयों में से एक,

अर्थात् एक दुकान के प्रभारी होने के नाते, श्री मैनी को खातों का संधारण करने और फॉर्म भरने जैसे कुछ लिपिकीय कार्य करने थे, लेकिन ऐसे कार्य अपने आप में इस तथ्य का संकेत नहीं थे कि लिपिकीय कार्य ही श्री मैनी के मुख्य कार्य हो। श्री पाई ने यह भी तर्क दिया है कि श्री मैनी को एक नियोक्ता के रूप में पंजाब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने थे। ऐसा तथ्य केवल यह दर्शाता है कि वे कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते हुए उक्त दुकान का प्रशासनिक प्रबंधन स्वयं कर रहे थे। श्री पाई ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित न्यायनिर्णय: विमल कुमार जैन बनाम लेबर कोर्ट, ए आई आर (1988) एस सी 384 और बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ऑफ इंडिया बनाम बर्मा शेल मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन व अन्य, (1971) 2 एस सी आर 758 का उल्लेख किया है। श्री पाई ने निवेदन किया है कि कोई विशिष्ट कर्मचारी मुख्य रूप से प्रबंधकीय, प्रशासनिक या पर्यवेक्षी कार्य का निर्वहन कर रहा है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में स्वीकार किए गए तथ्यों से और श्री मैनी की सेवा के नियमों और शर्तों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों का अंकित करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी एक कर्मकार नहीं था और क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न को सम्मिलित करते हुए इस तथ्य के संबंध में दिए गए निष्कर्ष को

लेटर्स पेटेंट अपील में भी बरकरार रखा गया है। अतः इस अपील में उक्त निष्कर्ष को न्यायालय द्वारा उलटा नहीं किया जाना चाहिए। श्री पाई ने यह भी निवेदन किया है कि भले ही कम्पनी ने श्रम न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया था कि अपीलार्थी का प्रमुख कार्य प्रशासनिक या प्रबंधकीय था, यह मानने में कोई बाधा नहीं थी कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति पर्यवेक्षी प्रकार की थी और उक्त कार्यों की प्रकृति वास्तविकता में प्रबंधकीय या प्रशासनिक प्रकृति की नहीं थी। श्री पाई ने निवेदन किया है कि भले ही यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी ने वास्तव में मुख्य रूप से पर्यवेक्षी कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन किया है न कि प्रबंधकीय कार्यों का, फिर भी अपीलार्थी एक कर्मकार नहीं होगा क्योंकि प्रासंगिक समय पर वह 500/- रुपये प्रति माह से अधिक वेतन ले रहा था। श्री पाई ने यह भी तर्क दिया है कि पूर्वाग्रह का प्रश्न तथ्य का प्रश्न है। उच्च न्यायालय ने यह सही रूप से प्रतिपादित किया है कि श्री मैनी ने घरेलू जांच के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई कि जांच अधिकारी पक्षपाती था क्योंकि वह कम्पनी द्वारा कानूनी कार्यवाही में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत था। श्री पाई ने यह भी तर्क दिया है कि केवल इसलिए कि जांच अधिकारी कानूनी पृष्ठभूमि का था, घरेलू जांच में अधिवक्ता की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी घरेलू जांच में कानून का कोई भी जटिल प्रश्न तय नहीं किया जाना था और अपीलार्थी एक शिक्षित व्यक्ति होने के कारण घरेलू जांच में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने में बिल्कुल सक्षम था।

इसलिए, श्रम न्यायालय के पास यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि श्री मैनी को घरेलू जांच में अपने मामले का प्रतिरक्षा करने के लिए उचित अवसर से वंचित किया गया था। श्री पाई ने यह भी निवेदन किया है कि यदि श्रम न्यायालय का यह विचार था कि किसी भी कारण से घरेलू जांच ठीक से नहीं की गई थी, तो केवल यह वांछनीय था कि कम्पनी को श्रम न्यायालय के समक्ष नए साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए था जिससे श्रम न्यायालय का समाधान किया जा सके कि सेवा समाप्ति का आदेश अन्यथा उचित था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने यह सही माना है कि श्रम न्यायालय ने समाप्ति आदेश के समर्थन में नयी साक्ष्य पेश करने की कम्पनी की प्रार्थना को अस्वीकार कर गलत किया है। श्री पाई ने निवेदन किया है कि उपरोक्त तथ्यों में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि लेटर्स पेटेंट अपील में इसे बरकरार रखा गया है और इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमें यह प्रतीत होता है कि कोई कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कर्मकार है या नहीं, यह उसके कर्तव्यों और कार्यों की प्रमुख प्रकृति के संदर्भ में निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर मौजूद

सामग्रियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना आवश्यक है और किसी स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला को निर्धारित करना संभव नहीं है जो सभी मामलों में एक कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों और कार्यों की वास्तविक प्रकृति के बारे में विवाद का निर्णय कर सके। जब किसी कर्मचारी को धारा 2(एस) के तहत कर्मकार की परिभाषा में उल्लिखित प्रकार के कार्य करने के लिए नियोजित किया जाता है, तो उचित वर्गीकरण के तहत उसे कर्मकार के रूप में मानने में शायद ही कोई कठिनाई होती है, लेकिन वाणिज्यिक संगठनों की औद्योगिक जटिलता में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अक्सर एक से अधिक प्रकार के काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में यह तय करना अत्यावश्यक हो जाता है कि कर्मचारी किस वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा जिससे यह तय हो सके कि क्या ऐसा कर्मचारी कर्मकार की परिभाषा में आता है या नहीं। इस संबंध में, बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बर्मा शेल मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन, (1970) 2 एल. एल. जे. 590 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, (1965) 2 एल. एल. जे. 175 एस सी, में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि 'पर्यवेक्षण' शब्द और इसके व्युत्पन्न शब्द सटीक महत्व के शब्द नहीं हैं और इन्हें अक्सर संदर्भ के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक नियंत्रित नहीं किया जाता है, वे दूसरों के मैनुअल काम के निरीक्षण और अधीक्षण

की शक्ति के साथ-साथ मैन्यूअल कार्य के रूप में आसानी से सरल निरीक्षण और निर्देशन को भी आच्छादित कर देते हैं। दोनों विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सही ढंग से यह तर्क दिया गया है कि किसी कर्मचारी का पदनाम अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और जो महत्वपूर्ण है वह कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों की प्रकृति है। निर्धारक कारक संबंधित कर्मचारी के मुख्य कर्तव्य हैं, न कि संयोगवश किए गए कुछ कार्य हैं। दूसरे शब्दों में, मूलतः वह कार्य क्या है जो कर्मचारी करता है या सारतः उसे क्या करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, यदि कर्मचारी मुख्य रूप से पर्यवेक्षी कार्य कर रहा है, लेकिन संयोग से या कुछ समय के लिए कुछ मैन्यूअल या लिपिकीय कार्य भी कर रहा है, तो कर्मचारी को पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि मुख्य कार्य मैन्यूअल, लिपिकीय या तकनीकी प्रकृति का है, तो केवल यह तथ्य कि कुछ समय के लिए पर्यवेक्षी या अन्य कार्य भी कर्मचारी द्वारा संयोगवश किया जाता है या समय का केवल एक छोटा सा हिस्सा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कुछ पर्यवेक्षी कार्यों के लिए समर्पित है, तो ऐसा कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित कर्मकार के दायरे में आता है।

10. मैक्लॉड एंड कम्पनी बनाम छांठां औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल, ए आई आर 1958 कलकत्ता 273 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. बी. मुखर्जी ने विद्वान मुख्य न्यायाधीश के

रूप में, यह तय किया था कि क्या कोई व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई कर्मकार की परिभाषा के भीतर आता है, यह तथ्य औद्योगिक न्यायाधिकरण की क्षेत्राधिकारिता का मूल आधार होगा। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि "पर्यवेक्षी", "प्रबंधकीय" और "प्रशासनिक" जैसे विभिन्न शब्दों के उपयोग से संकेतित सेवा की श्रेणियों को निर्धारित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक की धारणा को दूसरे से निर्वचन कर तात्पर्य किया जाए। पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक जैसे शब्द विचारपूर्ण रूप से ढीली अभिव्यक्तियाँ हैं जिनकी कोई कठोर सीमा नहीं है और इसे बहुत अधिक सूक्ष्मता के साथ सटीक रूप से परिभाषित करने की कोशिश में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कि पर्यवेक्षण कहाँ समाप्त होता है और प्रबंधन कहाँ से प्रारम्भ होता है और प्रशासन कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वह सैद्धांतिक होगा, व्यावहारिक नहीं होगा। इसकी व्यापक रूप से सामान्य प्रज्ञा के दृष्टिकोण से व्याख्या की जानी चाहिए जिससे परीक्षण के सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग दोनों ही सरल होंगे। विद्वान न्यायाधीश ने आगे यह भी तय किया कि एक पर्यवेक्षक को तब तक एक कर्मकार होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह अनुभाग में इंगित मौद्रिक सीमा से अधिक न हो और एक पर्यवेक्षक, जो कि अपने कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों या उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्य रूप से प्रबंधकीय प्रकृति के कार्यों का निर्वहन करता है, वह उसे मिलने वाले वेतन का विचार किए बिना भी एक कर्मकार नहीं है। कलकत्ता

उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम श्री किशन भवेरिया ए आई आर (1988) एस सी 329 मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित करते हुए उल्लेखित किया गया था।

11. इस संबंध में यह उल्लेखित किया जा सकता है कि धारा 2(एस) के संशोधन के मद्देनजर प्रबंधकीय बल को छोड़कर विभिन्न प्रकार के कर्मचारों के वर्गीकरण के दायरे को बढ़ाते हुए, संपूर्ण श्रम बल को धारा 2(एस) के तहत कर्मकार की परिभाषा में शामिल किया गया है जैसा कि एस. के. वर्मा बनाम महेश चंद्रा व अन्य, (1983) 3 एस सी आर 799 में इस न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है। लेकिन यदि मुख्य कार्य पर्यवेक्षी प्रकृति का है, तो संबंधित कर्मचारी केवल तभी कर्मकार नहीं होगा, जब वह धारा 2(एस) में बताए अनुसार प्रासंगिक समय पर एक विशेष मात्रा में वेतन प्राप्त करता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मैनी को दुकान का प्रबंधक/प्रभारी होने के नाते उक्त सेवा के नियमों और शर्तों के तहत, वह क्रेडिट की राशि की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी था, चाहे क्रेडिट पर ऐसी बिक्री उसके द्वारा या उसके अधीन कर्मचारी सदस्य द्वारा उसकी जानकारी के साथ या उसकी जानकारी के बिना की गई हो। सेवा के नियमों और शर्तों के तहत, उन्हें उस दुकान का प्रभार लेने के लिए कहा गया था जहां उनकी सेवा स्थानान्तरित की गई थी। सेवा के नियमों और शर्तों के तहत श्री मैनी

स्टॉक या उसके किसी हिस्से की गुणवत्ता में गिरावट या स्वयं या अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी भी कर्मचारी से लापरवाही के किसी भी कार्य के कारण या कर्मचारियों द्वारा कोई सावधानी बरतने में हुई चूक के कारण दुकान में पड़े किसी भी अन्य सामान के नुकसान के कारण कम्पनी को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी थे। श्री मैनी को उक्त दुकान में किसी भी आग, चोरी, डकैती, लूट या आगजनी के पता चलने के तीन घंटे के भीतर ट्रंक कॉल और/या टेलीग्राम द्वारा कम्पनी को सूचित करने की भी आवश्यकता थी। उन्हें मामले की तुरंत जांच करनी होती थी और स्थानीय अधिकारियों से नुकसान का कारण और राशि का पता लगाना होता था। दुकान के प्रभारी के रूप में श्री मैनी को कम्पनी द्वारा अनुमोदित उचित खाते रखने और उन्हें संधारित करने की आवश्यकता थी, जिसमें संबंधित कर्मचारियों से प्राप्तियों से भुगतान की जाने वाली सटीक राशि का विवरण अंकित किया गया हो। सेवा के नियमों और शर्तों के खण्ड XIII के तहत, श्री मैनी दुकान के कर्मचारियों के कृत्यों या कमीशन के कारण होने वाली क्षति या हानि के लिए कम्पनी के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार रहते। सेवा के नियमों और शर्तों के खण्ड XV के तहत, दुकान प्रभारी को चुंगी, बिक्री कर और दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधि और/या दुकान पर लागू कोई अन्य स्थानीय विनियमन के संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले सभी नियमों से खुद को पूरी तरह परिचित रखना आवश्यक था। खंड XXI इंगित करता है कि किसी भी स्थानीय या

राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रबंधक को कम्पनी के विरुद्ध लगाए गए किसी भी जुर्माने/दंड और/या अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सेल्समैन के अनुपस्थित रहने की स्थिति में, दुकान प्रभारी को कार्यवाहक सेल्समैन के रूप में काम करने के लिए उक्त अवधि के लिए अस्थायी सहायक नियुक्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार, हेल्पर के अनुपस्थित रहने की स्थिति में, दुकान प्रबंधक को अंशकालिक सफाई कर्मचारी नियुक्त करने और हेल्पर का काम एक सफाई कर्मचारी को सौंपने का भी अधिकार है। हमारे विचार में ऐसे कार्य प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रतीत होते हैं। दुकान का प्रभारी होने के कारण, वह दुकान के प्रबंधन का प्रमुख प्रभारी अधिकारी था, इसलिए हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में औचित्य पाते हैं कि अपीलार्थी का मुख्य कार्य प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रकृति का था। यह सच है कि उन्हें स्वयं भी लिपिकीय प्रकृति के कार्य करने पड़ते थे, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से श्री मैनी दुकान के प्रबंधन के प्रभारी होने के नाते प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य का निर्वहन कर रहे थे। एक प्रबंधक या एक प्रशासनिक अधिकारी को आम तौर पर एक क्लर्क के रूढ़िबद्ध कार्य के विपरीत पर्यवेक्षण की शक्ति दी जाती है। लॉयड्स बैंक लिमिटेड बनाम पन्नालाल गुप्ता (1961) 1 एल. एल. जे. 18 एस.सी. में इस न्यायालय ने यह इंगित किया है कि एक प्रबंधक या प्रशासक आम तौर पर आदेश या निर्णय की स्थिति रखता है और

अपने उच्चाधिकारियों की मंजूरी के बिना अपने अधिकार की सीमा के भीतर कुछ मामलों में कार्य करने के लिए अधिकृत है। अपनी सेवा के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के भीतर इस मामले में, श्री मैनी को अस्थायी नियुक्तियों के मामले में निर्णय लेने और दुकान के उचित संचालन के लिए प्रासंगिक सभी उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक इसी कारण से, श्री मैनी ने एक नियोक्ता के रूप में वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए थे। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक कर्मचारी जो कि प्रबंधकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, को सामान्य प्रक्रम में अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्वहन की शक्ति प्रदत्त नहीं की गयी हो। यह संभावना नहीं है कि बड़े सेट अप में ऐसी शक्ति स्थानीय प्रबंधक को प्रदत्त नहीं की जाती हो, एक बड़ी व्यवस्था में इस तरह की शक्ति एक स्थानीय प्रबंधक को प्रदत्त नहीं की जाती हो लेकिन इस तरह की शक्ति संभागीय या क्षेत्रीय स्तर पर प्रबंधन संवर्ग में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी जाती है। स्थानीय दुकान में इकाई भले ही बड़ी न हो, लेकिन ऐसी छोटी इकाई का प्रबंधन कार्य प्रबंधकीय आवश्यकताओं और घटनाओं को पूरा कर सकता है। श्री मैनी की सेवा की स्वीकृत शर्तों और परिस्थितियों के संदर्भ में दुकान प्रबंधक के कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति की बारीकी से जांच करने पर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि अपीलार्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कर्मकार नहीं था। उपरोक्त तथ्यों में इस प्रश्न पर

विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या घरेलू जांच उचित रूप से की गई थी या नहीं या जाँच अधिकारी ने पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य किया था। अपील के निपटान के उद्देश्य से यह निर्णय लेना भी आवश्यक नहीं है कि कम्पनी श्रम न्यायालय के समक्ष घरेलू जांच के समर्थन में नए साक्ष्य पेश करने की हकदार थी या नहीं। इसलिए, खर्च के संबंध में किसी भी आदेश के बिना अपील खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शालिनी गोयल (अनुवादक का नाम) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।